किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय

गाँधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ-226003

पत्रांक : 364 /CMS CAMP/2021 दिनांकः- 18/08/2021

अतिआवश्यक/तत्काल/ई-मेल

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. चिकित्सा अधीक्षक/उप चिकित्सा अधीक्षक, गाँधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, ट्रामा सेन्टर, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. चीफ प्राक्टर, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. अध्यक्ष, स्पेस एलाटमेंट कमेटी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
6. फैकल्टी इंचार्ज, के0जी0एम0यू0 एच0आर0एफ0, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
7. फैकल्टी इंचार्ज, आई0टी0 सेल, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
8. नोडल अधिकारी, आयुष्यमान भारत योजना, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।

विषय :- चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति की दिनांक 29.07.2021 को आहूत बैठक में लिये गये निर्णय पर मा0 कार्य-परिषद द्वारा दिये गये अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 लखनऊ के पत्रांक- मीटिंग सेल/5121 दिनांक 16.08.2021 द्वारा विश्वविद्यालय कार्य-परिषद की दिनांक 05.08.2021 को आहूत नियमित बैठक की कार्य-सूची के एजेण्डा संख्या-21(08) पर मा0 कार्य-परिषद द्वारा किये गये विनिश्चय से अवगत कराते हुए, उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

तदक्रम में अवगत कराना है कि चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति कि दिनांक 29.07.2021 को आहूत बैठक में लिये गये निर्णय के कार्यवृत्त पर मा0 कार्य-परिषद द्वारा निम्नलिखित संशोधन के साथ कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान करते हुए तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये है-

- **एजेन्डा संख्या-1.1 पर हास्पिटल परामर्शदात्री समिति के निर्णय के क्रम में एवं विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी के परामर्श पर यह निर्णय लिया कि शासन द्वारा जारी प्रतिपूर्ति सम्बंधित नीति/आदेश ही विश्वविद्यालय में लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाय। हालॉकि जब-तक उक्त प्रस्ताव पर शासन की सहमति/अनुमोदन प्राप्त नही होती है, तब-तक प्रस्तावित प्रतिपूर्ति नीति से पूर्व में प्रचलित प्रतिपूर्ति नीति जारी रखे जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।**
- **एजेन्डा संख्या-6.2 पर हास्पिटल परामर्शदात्री समिति के निर्णय को अस्वीकार किया गया।**

उक्त संशोधन के साथ मा0 कार्य-परिषद द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के अनुपालन में चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति के बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आपसे सम्बंधित एजेण्डों पर अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें ताकि आगामी मा0 कार्य-परिषद की बैठक के समक्ष अनुपालन आख्या प्रेषित की जा सके।

संलग्नक-यथोक्त।

भ व दी य

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक

गाँधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय

के.जी.एम.यू. लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. सहायक निजी सचिव को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ-226003
दूरभाष : 91-522-2253171, ई-मेल : registrar@kgmcindia.edu, वेबसाइट : www.kgmu.org

महत्वपूर्ण

पत्रांक : मीटिंग सेल / S/21

दिनांक: 16.08.2021

6021
17/8/21

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
गाँधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय,
के0जी0एम0यू0,
लखनऊ ।

महोदय,

विश्वविद्यालय कार्य-परिषद् की दिनांक 05.08.2021 को आहूत नियमित बैठक की कार्य-सूची के एजेण्डा संख्या- 21(08) पर माननीय कार्य-परिषद् द्वारा किये गये विनिश्चय से अवगत होते हुए, उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से प्रभारी मीटिंग सेल को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें, जिससे आगामी बैठक में माननीय कार्य-परिषद् के समक्ष अनुपालन-आख्या प्रस्तुत की जा सके।

उक्त बैठक के कार्यवृत्त की प्रतिलिपि विश्वविद्यालय की वेबसाइट (http://kgmu.org/exe_councillors.php) पर उपलब्ध है।

भवदीय,

14/08/2021

(आशुतोष कुमार द्विवेदी)
कुलसचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अधीक्षक (चिकित्सा / दन्त विज्ञान), गाँधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
3. प्रभारी, जी0ए0 एवं सम्पत्ति अनुभाग, कुलसचिव कार्यालय, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
4. कुलपति जी के निजी सचिव को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।

* * *

HAC file

Chief Medical Superintendent
Gandhi Memorial & Associated Hospital
King George Medical University, U.P.
Lucknow

Any Other Agenda (21) – Item No - 08

चिकित्सा विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल परामर्शदात्री समिति की दिनांक 29.07.2021 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त मा0 कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

संदर्भः मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, गाँधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, के0जी0एम0यू0, का पत्र संख्याः 335/सी0एम0एस0 कैंप/2021, दिनांक 03.08.2021।

RESOLUTION :-

सम्यक् विचारोपरान्त, मा0 कार्य–परिषद् ने निम्नवत् संशोधन के साथ कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान करते हुए, तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये :–

- एजेंडा संख्या 1.1 पर हास्पिटल परामर्शदात्री समिति के निर्णय के क्रम में एवं विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी के परामर्श पर यह निर्णय लिया कि शासन द्वारा जारी प्रतिपूर्ति सम्बंधित नीति/आदेश ही विश्वविद्यालय में लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाय । हालाँकि जब–तक उक्त प्रस्ताव पर शासन की सहमति/अनुमोदन प्राप्त नहीं होती है, तब–तक प्रस्तावित प्रतिपूर्ति नीति से पूर्व में प्रचलित प्रतिपूर्ति नीति जारी रखे जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।
- एजेंडा संख्या 6.2 पर हास्पिटल परामर्शदात्री समिति के निर्णय को अस्वीकार किया गया ।

Vice Chancellor
King George's Medical University U.P.
LUCKNOW

Registrar
King George's Medical University
U.P., Lucknow

चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति की बैठक का कार्यवृत्त

MINUTES OF HOSPITAL ADVISORY COMMITTEE MEETING

माननीय कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त नोटिस संख्या 323/सी0एम0एस0 कैम्प/2021 दिनांक 26.07.2021 द्वारा चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 29.07.2021 को अपराह्न 2:00बजे ब्राउन हाल, कुलपति कार्यालय में आहूत की गयी, जिसमें निम्न लिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

Sl. No.	Name	Designation
1.	Prof. Vineet Sharma,	Pro-vice Chancellor, Chairman, Hospital Advisory Committee, KGMU, Lucknow.
2.	Prof, Neera Kohli,	HOD, Radiodiagnosis, KGMU, Lucknow
3.	Prof. U.S. Singh,	HOD, Pathology, KGMU, Lucknow
4.	Prof. Jamal Masood	HOD, Community Medicine, KGMU, Lucknow
5.	Prof. A.A. Sonkar,	HOD, General Surgery, KGMU, Lucknow
6.	Prof. Suresh Babu,	Pathology, Department, KGMU, Lucknow
7.	Dr. Vivek Kumar,	Medicine, Department, KGMU, Lucknow.
8.	Prof. Anoop Kumar Verma	HOD, Forensic Medicine, KGMU, Lucknow.
9.	Prof. Apjit Kaur	HOD, Ophthalmology, KGMU, Lucknow.
10.	Dr. Somil Jaiswal,	Neurosurgery, Department, KGMU, Lucknow.
11.	Dr. Punit Kumar,	Rheumatology, Department, KGMU, Lucknow.
12.	Dr. Ved Prakash,	HOD, PCCM, KGMU, Lucknow.
13.	Dr. Suhail Sarwar Siddiqui,	Critical Care Medicine, Deptt. KGMU, Lucknow.
14.	Mr. Atul Chandra	Editor, (Retd.), Times of India, (Distinguished Citizens)
15.	Dr. Rajesh Harshvardhan,	SSCI, Lucknow. (Nominee of Director SSCI)
16.	Prof. S.N. Sankhwar	Chief Medical Superintendent, GM & AH., KGMU, Lucknow.
17.	Dr. D. Himanshu	Medical Superintendent, GM & AH., KGMU, Lucknow.
18.	Prof. S.P. Jaiswar	Medical Superintendent,(QMH), KGMU, Lucknow
19.	Prof. Neeraj Mishra	Medical Superintendent, (Dental), KGMU, Lucknow
20.	Dr. Prem Raj	Medical Superintendent, Trauma Center, KGMU, Lucknow
21.	Prof. Santosh Singh	Medical Superintendent, Satabdi Hospital, KGMU, Lucknow.
22.	Dr. Nitin Baradwaj	Deputy Medical Superintendent, GM&AH, KGMU, Lucknow
23.	Dr. Tanmay Tiwari	Deputy Medical Superintendent, Oxygen Supply, Lucknow
24.	Dr. Sunit Kumar Jurel	Deputy Medical Superintendent, Dental, KGMU, Lucknow
25.	Dr. Manish Bajpai	Deputy Medical Superintendent, OPD Block, KGMU, Lucknow
26.	Dr. Richa Khanna	Faculty Incharge, IT Cell., KGMU, Lucknow
27.	Dr. chhitij Srivastava	Chief Proctor, KGMU, Lucknow.
28.	Smt. Shashi Prabha Singh	Hospital Matron, GM & AH, KGMU, Lucknow
29.	Prof. P. Rashmi Jhon	Principal, College of Nursing, KGMU, Lucknow.
30.	Mr. Ashutosh Kumar Dwivedi	Registrar, Member Secretory, HAC, KGMU, Lucknow.
31.	Mr. Kamlesh Kumar	Finance Controller, King George's Medical University, Lucknow.

अध्यक्ष, चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति, के0जी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा ब्राउन हाल में उपस्थिति उपरोक्त समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया एवं विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताओं को क्रमशः नुसार विस्तृत विवरण मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, गाँधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिस पर समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श किये गया। विचार-विमर्श उपरान्त लिये गये बिन्दुवत् निर्णय का विवरण निम्नवत् है-

एजेन्डा-1.1

चिकित्सा विश्वविद्यालय में कार्यरत फैकल्टी/कर्मचारियों व उनके परिजनों को निःशुल्क चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु न्यू रिम्बर्समेन्ट पॉलिसी।

New reimbursement policy for providing free medical facilities to the faculty/staff/residents and their dependents of this Medical University (KHMU).

निर्णय-

समिति के समक्ष प्रेषित की गयी न्यू रिम्बर्समेन्ट पॉलिसी पर विस्तृत चर्चा की गयी। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर न्यू रिर्म्बसमेन्ट पॉलिसी को चिकित्सा विश्वविद्यालय में कार्यरत फैकल्टी/कर्मचारियों व उनके आश्रितों को निःशुल्क चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु लागू किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

A detailed discussion was held on the New Reimbursement Policy presented before the committee. After discussion approval was given by the committee to implement the New Reimbursement Policy to provide free medical facilities to the faculty/ employees/residents and their dependents of this Medical University.

एजेन्डा-1.2

केजीएमयू में पी0ओ0सी0टी द्वारा जांचों के सापेक्ष वर्तमान में लिये जा रहे शुल्क की पुनरावृत्ति दरों/नयी दरों की सूची। (एस0जी0पी0जी0आई0 की दरों की तुलना करते हुए)

List of Revised Rates / New Rates of test fee currently being charged by POCT in KGMU. (Comparing rates of S.G.P.G.I.)

निर्णय-

समिति के समक्ष प्रेषित की गयी पुनरावृत्ति/नयी दरों की सूची को चिकित्सालय में लागू किये जाने के प्रस्ताव पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

Approved by the committee on the proposal to implement the list of revised / new rates.

एजेन्डा-1.3

ओ0पी0डी0 में आने वाले रोगियों की हिस्ट्री को संरक्षित करने हेतु, ओ0पी0डी0 पर्चे के साथ, ओ0पी0डी0 फाईल की सुविधा प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।

In relation to starting the facility of OPD file, with OPD prescription, to preserve the history of patients coming to OPD.

निर्णय-

ओ0पी0डी0 फाइल हेतु निर्धारित दर रू0 50/- बिना किसी अनिवार्यता के चिकित्सालय में लागू किये जाने के प्रस्ताव पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

Approved by the committee on the proposal to implement the fixed rate of Rs 50/- in the hospital without any compulsion for the OPD file.

एजेन्डा-1.4

शासन द्वारा आयुष्मान फन्ड हेतु अनुमन्य धनराशि के युटिलाईजेशन के सम्बन्ध में।

Regarding utilization of the amount allowed by the government for Ayushman Fund

निर्णय-

समिति द्वारा आयुष्मान फन्ड हेतु अनुमन्य धनराशि के युटिलाइजेशन हेतु प्रेषित प्रस्ताव को EC से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त लागू किये जाने की सहमति सर्वसम्मति से प्रदान की गयी।

Consent was given to implement the proposal sent by the committee for the utilization of the permissible amount for Ayushman Fund after obtaining permission from the EC

एजेन्डा-2.1

जिन रोगियों का कैश लेस स्कीम से इलाज होना है, उनके सभी सामान एच0आर0एफ0 काउण्टर से ही प्राप्त होने चाहिए ताकि रोगियों को दवा लेने के लिये कहीं और न जाना पड़े तथा इलाज में बिलम्ब न हो।

Patients who are to be treated under cashless scheme, all the items should be obtained from HRF counter only, so that patients do not go somewhere else to get medicine and there is no delay in treatment.

निर्णय-

समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

The proposal was approved by the committee.

एजेन्डा-2.2

कैशलेस स्कीम से बाहर के रोगियों को कौन-कौन सी सुविधाएं/दवाएं/सामग्री इत्यादि निःशुल्क प्राप्त होंगी इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, जिससे रोगियों को उन सुविधाओं से लाभान्वित किया जा सके।

Which facilities/ medicines/ materials etc. will be available free of cost to the patients outside the cashless scheme, so that the patients can be benefitted from those facilities?

निर्णय-

कैशलेस स्कीम से बाहर के मरीजों हेतु जो दवायें/कन्ज्यूमेबल्स निःशुल्क चिकित्सालय में उपलब्ध हैं उनकी सूची प्रत्येक विभाग को उपलब्ध कराये जाने पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

The committee agreed to this proposal. The hospital should make available the list of medicines/ consumables available in the hospital free of cost to the patients outside the cashless scheme

एजेन्डा-2.3

कैश लेस स्कीम के विपन्न/गरीब/निराश्रित रोगियों तथा अन्य कैशलेस स्कीम से बाहर के रोगियों को यदि जीवन रक्षक दवाओं/सामग्री आदि की आवश्यकता पड़े तो उसकी व्यवस्था/उपलब्धता विभाग में पहले से ही होनी चाहिए, ताकि इलाज में बिलम्ब न हो।

If the Vippan / Poor / Destitute patients of cashless scheme and patients outside the cashless scheme, need lifesaving medicines/material etc., then their arrangement / availability should be in advance in the department, so that there is no delay in treatment.

निर्णय-

समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि विभागों द्वारा इमरजेन्सी दवाओं की सूची तैयार कर फार्मूलरी कमेटी के समक्ष प्रेषित की जायेगी। फार्मूलरी कमेटी द्वारा निर्धारित SOP के अर्न्तगत प्रदान की गयी संस्तुति अनुसार विभाग में 4-5 किट "इमरजेन्सी हेड" के अर्न्तगत प्रत्येक समय उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

After consultation with the committee, it was decided that the department should prepare a list of emergency medicines and send it to the Formulary Committee. According to the recommendation given under the SOP prescribed by the Formulary Committee, the committee agreed to ensure availability of 4-5 kits under "Emergency Head" at all times in the department.

एजेन्डा-2.4

Microbiology की रिपोर्ट अभी भी चिकित्सालय के वेबसाइट पर अपडेट नहीं होती है, इसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।

Microbiology report is still not updated on the website of the hospital, necessary action should be taken for this.

निर्णय-

फैकल्टी इंचार्ज, आई0टी0 सेल द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि मरीजों की रिपोर्ट ई-हास्पिटल पर अपलोड की जा रही है। कोई भी फैकल्टी मरीज का यू0एच0आई0डी0 प्रयोग कर रिपोर्ट को एक्सेस कर सकता है।

The committee was apprised by the Faculty Incharge, IT Cell that the patient reports are being uploaded on the e-hospital. Any faculty can access the report using the patient's UHID.

एजेन्डा-2.5

ट्रामा सेन्टर की कैजुअल्टी के बेड भर जाने के बाद भी आने वाले इमरजेन्सी रोगियों को अन्य अस्पतालों में भेजने हेतु स्पष्ट आदेश निकलना चाहिए।

Clear order to send emergency patients coming to Trauma Center to other hospitals after the trauma center's casualty beds are full.

निर्णय-

समिति के अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, ट्रामा सेन्टर द्वारा तैयार रेफरल पॉलिसी को विश्वविद्यालय द्वारा शासन को प्रेषित की गयी है। शासन से निर्देश प्राप्त होती ही चिकित्सालय में लागू किया जायेगा।

The committee was apprised by the chairman of the committee that the referral policy prepared by the Chief Medical Superintendent, Trauma Center has been sent to the government by the university. As soon as the instructions are received from the government, it will be implemented in the hospital.

एजेन्डा-2.6

कैजुअल्टी मेडिकल ऑफीसर के 10-12 पद विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा सृजित किये जायें, जिससे कैजुअल्टी में हर पाली में 2 से 3 मेडिकल ऑफीसर ड्यूटी पर रहें, जिससे इमरजेन्सी में आने वाले रोगियों को बेहतर सुविधाएं दी जा सके।

10-12 posts of casualty medical officers should be created by the university administration, so that 2 to 3 medical officers should be on duty in every shift in casualty, so that better facilities can be given to the patients coming in emergency.

निर्णय-

समिति द्वारा सम्बंधित प्रस्ताव को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, ट्रामा सेन्टर द्वारा विधिवत् तैयार कर विश्वविद्यालय स्तर से नितान्त आवश्यकता के अर्न्तगत शासन को प्रेषित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

The committee recommended that a proposal should be prepared by the Chief Medical Superintendent, Trauma Center and then to be sent to the government from the university level as per the urgent need.

एजेन्डा-2.7

चीफ सिक्योरिटी ऑफीसर का 01 पद तथा सहायक सिक्योरिटी ऑफीसर के 04 पदों का सृजन किया जाना चाहिए, जिससे ट्रामा सेन्टर में व्यवस्था तथा अनुशासन बनाए रखा जा सके, तथा चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की सिक्योरिटी भी सुनिश्चित किया जा सके।

01 post of Chief Security Officer and 04 posts of Assistant Security Officer should be created so that in trauma Center order and discipline can be maintained and security of doctors and employees can also be ensured.

निर्णय-

समिति द्वारा सम्बंधित प्रस्ताव को चीफ प्राक्टर, के0जी0एम0यू0 द्वारा विधिवत् तैयार कर विश्वविद्यालय स्तर से शासन को प्रेषित किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

The concerned proposal by the committee will be duly prepared by the Chief Proctor, KGMU. A recommendation was made to send it to the government from the university level.

एजेन्डा-2.8

विश्वविद्यालय में एक केन्द्रीय मॉनीटर सी0सी0टी0वी0 रूम की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे पूरे कैम्पस की गतिविधियों को मॉनीटर किया जा सके।

The University should have a central monitor CCTV room, so that the entire campus activities can be monitored.

निर्णय-

समिति के समक्ष प्रेषित प्रस्ताव के सम्बन्ध में चीफ प्राक्टर, के0जी0एम0यू0 द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यवाही प्रक्रियारत है। उक्त का क्रियान्वयन आई0टी0 सेल के सहयोग से जल्द ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

Regarding the proposal sent before the committee, the Chief Proctor, KGMU, informed that the proceedings are under process. The implementation of the above will be started soon with the help of IT Cell.

एजेन्डा-2.9

बायोमेडिकल इन्जीनियर के कम से कम दस पदों का सृजन होना चाहिए ताकि विभागों में लगी हुई मशीनों की सही देख रेख हो सके, तथा आवश्यकता पड़ने पर हर विभाग में इनकी उपलब्धता बनी रहे।

At least ten posts of Biomedical Engineer should be created so that the machines installed in the departments can be properly looked after, and their availability should be maintained in every department if required.

निर्णय-

समिति के अध्यक्ष द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि मानव संसाधन एवं साम्रगी प्रबंधन हेतु बायोमेडिकल इंजीनियर की आवश्यकता के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। शासन से प्राप्त निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

The committee was apprised by the chairman of the committee that the proposal regarding the requirement of biomedical engineer, IT human resource and Material management has been sent to the government. Action will be taken as per the instructions received from the government.

एजेन्डा-3

संक्रामक रोग विभाग में उल्टी-दस्त, रैबीज, टिटनेस एवं चिकेनपॉक्स के मरीजों को उपचार हेतु भर्ती करने तथा संक्रामक रोग के कर्मचारियों को किस विभाग में कार्य करना है के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निर्धारित किया जाना है।

Guidelines are to be prescribed regarding the admission of patients of vomiting-diarrhea, rabies, tetanus & chickenpox for the IDH and in which department the IDH staffs have to work.

निर्णय-

चिकित्सालय Space Allotment Committee द्वारा निर्णय लिये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

Decision will be taken by the Hospital Space Allotment Committee.

एजेन्डा-4.1

जे0एस0एस0के0 के रोगियों के बिल, ई-हॉस्पिटल के माध्यम से निकल आये, जिससे जे0एस0एस0के0 लाभार्थियों के देयकों के समायोजन में सुविधा हो सकें, वर्तमान में इन रोगियों की आहार, जॉच तथा दवाईयों के देयक अलग-अलग ऑफ-लाइन माध्यम से प्राप्त होते हैं, जिससे उनके समायोजन में असुविधा तथा अनावश्यक विलम्ब होता है।

The bills of JSSK patients should be passed through e-Hospital, so that it can be facilitated in adjustment of the bills of JSSK beneficiaries, at present, the bills of diet, check-up and medicines of these patients are received separately through offline mode, which causes inconvenience and unnecessary delay in their adjustment.

निर्णय-

इंचार्ज, आई0टी0 सेल द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि ई-हॉस्पिटल पर समस्त कैशलेश स्कीम के बिल निकाले जाने की प्रक्रिया NIC स्तर से प्रक्रियारत है, जल्द ही यह व्यवस्था ई-हॉस्पिटल पर उपलब्ध हो जायेगी।

The committee was apprised by Incharge, IT Cell that all the E-Hospital Services and the process of billing cashless scheme is under process from NIC level. Soon this system will be available on e-hospital.

एजेन्डा-4.2

विभाग में जिन दवाइयों की आपूर्ति नहीं होती है, उनकी उपलब्धता एच0आर0एफ0 के माध्यम से विभाग में ही हो सकें, इसके लिए आवश्यक है कि विभाग में एक एच0आर0एफ0 काउन्टर संचालित किया जाये, जिससे मरीजों एवं उनके परिजनों को असुविधा न हो।

The medicines which are not supplied in the department can be made available through HRF in the department itself, for this it is necessary that an HRF counter should be operated in the department so that patients and their families are not inconvenienced.

निर्णय-

समिति द्वारा सर्वसम्मति से क्यीनमेंरी में एच0आर0एफ0 काउन्टर खाने जाने की सहमति प्रदान की गयी।

The committee agreed regarding opening HRF shop in QMH.

एजेन्डा-4.3

विभाग में नवनिर्मित इमारत एम0सी0एच0 का संचालन प्रशासन के निर्देशानुसार किया जा रहा है। जिसमें मानव सम्पदा की आपूर्ति विभाग हेतु पूर्व में स्वीकृत पदों से ही की जा रही है तथा उस इमारत हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तैनाती स्थायी अथवा मानव श्रम-शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकी है, जो कि अत्यन्त आवश्यक है, जिससे विभाग का कार्य सुचारू रूप से चल सके।

The newly constructed building MCH in the department is being operated as per the instructions of the administration. The supply of human resources is being done from the posts approved earlier for the department and the deployment of class IV employees for that building has not been done through permanent or man-power through Agency, which is very necessary, so that the work of the department runs smoothly.

निर्णय-

मानव श्रम-शक्ति की आवश्यकता के सम्बन्ध में कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बंधित विभाग द्वारा अवगत कराया जाय।

Concern Department to approach to Registrar, KGMU for nessesory Action.

एजेन्डा-4.4

विभाग में स्थित ओवर फुट ब्रिज का भी संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसके साफ-सफाई हेतु न ही कर्मचारी प्रदान किये गये हैं तथा न ही कोई अन्य व्यवस्था की गयी। अतः पर्याप्त कर्मचारियों की संख्या में उक्त कार्य को सम्पादित कराने कि व्यवस्था की जाये, जिससे गम्भीर रोगियों को अन्य विभाग में चिकित्सीय परामर्श एवं जॉच हेतु लाने-ले जाने की सुविधा मिल सके।

Foot over Bridge located in the department is also now started, for which neither employees have been provided nor has any other arrangement been made for its cleanliness. Therefore, arrangements should be made to get the said work done with sufficient number of employees, so that serious patients can be taken to other departments for medical consultation and examination.

निर्णय-

मानव श्रम-शक्ति की आवश्यकता के सम्बन्ध में कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बंधित विभाग द्वारा अवगत कराया जाय।

Concern Department to approach to Registrar, KGMU for nessesory Action..

एजेन्डा-4.5

विभाग में जो मेडिको लीगल के मरीज आते हैं उन्हें जॉच की सुविधा चिकित्सा विश्वविद्यालय में न होने कारण जनपदीय अस्पताल में जॉच हेतु भेजा जाता है जिससे मरीजों के उपचार में अनावश्यक बिलम्ब होता है यदि यह सुविधा विभाग में ही उपलब्ध करायी जा सके तो ऐसे रोगियों को त्वरित उपचार प्राप्त हो सकता है। उक्त जॉच हेतु 01 मेडिकल आफीसर (24X7 days), सैम्पल कलेक्शन हेतु किट, आवश्यक प्रपत्र के साथ ही साथ ट्रेनिंग की व्यवस्था करायी जानी चाहिये, जिससे ऐसे रोगियों के उपचार में अनावश्यक विलम्ब न हो।

Medico-legal patients who come to the department, due to lack of facility in the medical university, these patients are sent to the district hospital for examination, which causes unnecessary delay in the treatment of patients. If this facility can be made available in the department itself, then such patients may receive prompt treatment. For the above test, arrangements should be made for 01 Medical Officer (24X7 days), kit for sample collection, necessary forms as well as training, so that there is no unnecessary delay in the treatment of such patients.

निर्णय-

विभागीय समिति के माध्यम से तैयार विस्तृत प्रस्ताव को चिकित्सा अधीक्षक, गॉधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी/शासन को प्रेषित किये जाने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

The detailed proposal prepared through the departmental committee was unanimously approved by the committee. This to be sent to the Chief Medical Officer/Government through Medical Superintendent, Gandhi Memorial and Associated Hospitals.

एजेन्डा-5.1

पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में भर्ती मरीज के अटेन्डेन्ट के लिए दो गेट पास जारी करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि व्यर्थ लोगों का आना-जाना रोका जा सके, जिससे किसी प्रकार के संक्रमण एवं कोविड-19 की तीसरी लहर से बचाब हेतु समुचित व्यवस्था की जा सके।

Arrangement should be ensured to issue two gate passes to the attendant of the patient admitted in the Department of Pediatric Surgery, so that the movement of unnecessary people can be stopped, so that proper arrangements are made to prevent any kind of infection and third wave of Covid-19.

निर्णय-

समिति को अवगत करया गया कि विश्वविद्यालय मे दो गेट पास की व्यवस्था पूर्व से लागू है, फोटो आई0डी0 युक्त गेट पास बनाये जाने की प्रक्रिया प्रक्रियारत है, जल्द ही चिकित्सालय में प्रारम्भ की जायेगी।

The committee was apprised that the system of two gate passes is already in force in the university, the process of making gate pass with photo ID is in process, which will be started soon in the hospital.

एजेन्डा-5.2

पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की अत्यधिक कमी है जिसमें मुख्य द्वारा पर गार्ड एवं ओ0टी0, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड व अन्य स्थानों में सफाई कर्मचारियों की अत्यधिक कमी है जिसका मॉग पत्र पूर्व में कई बार कुलसचिव कार्यालय को प्रेषित किया जा चुका है। (पत्र संलग्न) कोविड-19 की तीसरी लहर के प्रभाव को निष्क्रीय करने हेतु सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में करने का कष्ट करें।

There is an acute shortage of class IV staff in the Department of Pediatric Surgery, in which there is an acute shortage of guards and cleaning staff in OT, post-operative ward and other places, whose demand letter has been sent to the Registrar's office several times in the past (Letter attached) Appoint a sweeper in the pediatric surgery department to reduce the effect of third wave of Covid-19

निर्णय-

मानव श्रम-शक्ति की आवश्यकता के सम्बन्ध में कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बंधित विभाग द्वारा अवगत कराया जाय।

Concern Department to approach to Registrar, KGMU for nessesory Action.

एजेन्डा-6.1

Troponin-T Estimation Test Facility

विभाग में इस टेस्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं है यह टेस्ट ट्रामा सेन्टर में होता है। विभाग में जिन मरीजों की Trop-T जॉच लिखी जाती है उनको जॉच करवाने हेतु ट्रामा सेन्टर जाना पड़ता है, जिस कारण हृदयरोगियों के इलाज का समय व्यर्थ में जाता है। अगर यह जॉच विभाग में हो जाये तो मरीजों के तीमारदारों का व्यर्थ में भटकना नहीं पड़ेगा व रिपोर्ट जल्दी मिल जाने के कारण इलाज शुरू हो सकेगा। विभाग में औसतन 100-150 जॉच प्रतिदिन होती है।

Troponin-T Estimation Test Facility

The facility of this test is not available in the department. This test is being done in the trauma center. Patients whose Trop T test is written in the department have to go to the trauma center to get them checked, due to which the time of treatment of heart patients is wasted. If this investigation is done in the department, then the relatives of the patients will not have to wander in vain and treatment will be possible due to getting the report soon. Average 100-150 tests per day done in the department.

निर्णय-

डा0 वाहिद अली द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि इस पर कार्यवाही प्रक्रियारत है जल्द ही यह व्यवस्था कॉर्डियोलॉजी विभाग में प्रारम्भ कर दी जायेगी।

The committee was informed by Dr. Wahid Ali, that already this is under process, soon this facility will be started in the department of cardiology.

एजेन्डा-6.2

विभाग में विभिन्न प्रोसीजर जैसे बी0एम0वी0, आर0एफ0ए0 तथा एफ0एफ0आर0 करने में एक मरीज पर यदि एक डिस्पोजिबल आईटम इस्तेमॉल करना पड़े तो मरीज पर अत्यधिक व्यय भार पड़ता है क्योंकि उसकी कीमत अत्यधिक होती है। जबकि बहुत से बैलून/वायर कई मरीजों (5-7) में प्रयोग किये जा सकते है, जिससे मरीजों पर व्यय भार कम हो जायेगा। मरीजों के हित को ध्यान में रखते हुए विभागीय समिति ने यह निर्णय लिया है कि संलग्नक विवरण के अनुसार यदि विभिन्न आइटमों का प्रयोग किया जाये तो मरीजों को कम व्यय में उनका उपचार हो सकता है।

In doing various procedures like BMV, RFA and FFR in the department, if a disposable item is used in one patient then the patient incurs a huge expenditure burden because its cost is high. Whereas many balloons/wires can be used in multiple patients (5-7), which will reduce the expenditure burden on the patients. Keeping in view, the interest of the patients, the departmental committee has decided that if different items are used as per the attached details, then patients can get their treatment at less cost.

निर्णय-

समिति द्वारा उक्त प्रेषित प्रस्ताव को HICC नियमों का पालन करने के उपरान्त क्रियान्वित किये जाने की सहमति प्रदान की गयी।

Consent was given to implement the proposal sent by the departmental committee after following the HICC protocols.

एजेन्डा-7

विभाग में भर्ती एवं विभाग में आये कैंसर रोगियों की एल0पी0 काउण्टर से दवाये समय से नहीं मिलती है, जिसके कारण कैंसर रोगियों का उपचार बाधित होता है। कैंसर रोगी एवं रोगी के तीमारदार भटकते रहतें हैं। चिकित्सक विश्वविद्यालय में कार्यरत चिकित्सक, रेजीडेन्ट एवं कर्मचारियों की भी दवायें एल0पी0 काउण्टर से समय से प्राप्त नहीं होती है।

Medicines for Cancer patients admitted in the department and cancer patients coming to the department are not available from the LP counter timely, due to which cancer treatment of patients is delayed. Cancer patients and relatives of the patient keep on wandering. Medicines of Doctors, Residents and employees working in the university are also not received on time from LP counter.

निर्णय-

समिति द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा की गयी, चिकित्सा अधीक्षक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि नये टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कर आदेश निर्गत कर दिये गये हैं। नई फर्म द्वारा एल0पी0 की दवायें उपलब्ध करायी जा रही है।

The proposal was discussed by the committee, the medical superintendent informed the committee that orders have been issued. LP medicines are being made available by the new firm selected through process of new tender.

एजेन्डा-8

नेत्र विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ में अकुलर प्रास्थेसिस सर्विसेज (Ocular Prosthesis Services) की स्थापना एवं संचालन।

Establishment of Ocular Prosthesis Services at Eye Department, KGMU Lucknow

निर्णय-

अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि प्रस्ताव पूर्व में EC के अनुमोदनोपरान्त कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है।

The committee was apprised by the Chairman that the proposal has been sent to the government by the Registrar, KGMU after the approval of the EC earlier.

एजेन्डा-9

एजेन्डा 9 के बिन्दु संख्या 1 से 10 के सम्बन्ध में।

निर्णय-

एजेन्डा 9 के बिन्दु संख्या 1 से 10 पर कुलसचिव, आई0टी0 सेल, निर्माण विभाग तथा Space Allotment Committee स्तर से कार्यवाही की जायेगी।

Points 1 to 10 of Agenda 9. Action will be taken on these points by the Registrar, IT Cell, Civil Department and Space Allotment Committee level.

एजेन्डा-10

एजेन्डा 10 के बिन्दु संख्या 1 से 6 एवं 8 के सम्बन्ध में।

निर्णय-

एजेन्डा 10 के बिन्दु संख्या 1 से 6 एवं 8 पर कुलसचिव, के0जी0एम0यू0, आई0टी0 सेल, सम्बंधित डोमेन (क्रय) एवं निमार्ण विभाग के0जी0एम0यू0 स्तर से कार्यावाही की जायेगी।

On Point 1 to 6 and 8 of Agenda 10. Action will be taken by the Registrar, IT Cell, concerned domain (purchasing) and civil department.

एजेन्डा-10.7

To revise the clinical charges for the centralized lab to improve clinical facility, clinical lab of the Prosthodontics department is ready to serve as a centralized lab for all departments of the dental faculty after deposition of necessary charges as per University norms.

निर्णय-

समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि दंत संकाय के अन्तर्गत सम्बंधित विभागों की विभागीय कमेटी के माध्यम से विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर चिकित्सा अधीक्षक दंत संकाय और अधिष्ठाता दंत संकाय के माध्यम से आगामी चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाय।

In relation to point number 7 of Agenda 10. After discussion it was decided that through the departmental committee of the concerned departments under the dental faculty, a detailed proposal should be prepared and to be placed for approval before the upcoming hospital advisory committee through MS dental & Dean dental

एजेन्डा-11

एजेन्डा 11 के बिन्दु संख्या 1 से 6 के सम्बन्ध में।

निर्णय-

एजेन्डा 11 के बिन्दु 1 से 6 पर चिकित्सालय Space Allotment Committee द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

On points 1 to 6 of Agenda 11, discission to be taken by the Hospital Space Allotment Committee.

(प्रो0 विनीत शर्मा)
प्रति-कुलपति एवं अध्यक्ष
चिकित्सालय परामर्शदात्री समिति
के0जी0एम0यू0, लखनऊ।

(आशुतोष कुमार द्विवेदी)
कुलसचिव
किगं जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

05/08

KC